चापरमुख-सिलघाट रेल लाइन और काटाखाल-लालाबाजार रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1982

(1982 का अधिनियम संख्यांक 36)

[17 अगस्त, 1982]

चापरमुख-सिलघाट रेल लाइन के सम्बन्ध में चापरमुख-सिलघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों और काटाखाल-लालाबाजार रेल लाइन के सम्बन्ध में काटाखाल-लालाबाजार रेलवे कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के, उक्त रेल लाइनों का दक्षतापूर्ण परिचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की आवश्यकताएं साधित हों, तथा उक्त क्षेत्रों और देश के शेष भाग के बीच संचार सम्बन्धों का संरक्षण हो, अर्जन का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

चापरमुख-सिलघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्वाधीन चापरमुख-सिलघाट रेल लाइन और काटाखाल-लालाबाजार रेलवे कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्वाधीन काटाखाल-लालाबाजार रेल लाइन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और देश के शेष भाग के बीच अत्यावश्यक संचार साधन है;

और उक्त रेल लाइनें समीपस्थ पूर्वोत्तर सीमान्त रेल की छोटी लाइन प्रणाली के साथ एकीकृत हैं;

और पूर्वोक्त कम्पनियों की आस्तियों की स्थिति ऐसी अवस्था में पहुंच गई है कि उनके स्वामित्वाधीन रेल लाइनों पर रेलगाड़ी सेवा का परिचालन करना दीर्घकाल तक संभव नहीं हो सकता है ;

और यह आवश्यक है कि उक्त रेल लाइनों का दक्षतापूर्ण परिचालन सुनिश्चित किया जाए;

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चापरमुख-सिलघाट रेल लाइन और काटाखाल-लालाबाजार रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1982 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है ;

(ख) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ग) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है ;

(घ) "दोनों विनिर्दिष्ट कंपनियां" से अभिप्रेत है,—

(i) चापरमुख-सिलघाट रेलवे कंपनी लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 12, मिशन रोड, कलकत्ता में है; और

(ii) काटाखाल-लालाबाजार रेलवे कम्पनी लिमिडेट, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय मैक्लाइड हाउस, 3, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता में है;

(ङ) "उपक्रमों" से—

(i) चापरमुख-सिलघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के संबंध में, चापरमुख-सिलघाट रेल लाइन और उस कम्पनी के उस रेल लाइन से संबंधित सभी अन्य उपक्रम अभिप्रेत हैं;

(ii) काटाखाल-लालाबाजार रेलवे कंपनी लिमिटेड के संबंध में, काटाखाल-लालाबाजार रेल लाइन और उस कंपनी के उस रेल लाइन से संबंधित सभी अन्य उपक्रम अभिप्रेत हैं;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

दोनों विनिर्दिष्ट कंपनियों के उपक्रमों का अर्जन

3. दोनों विनिर्दिष्ट कंपनियों के उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण और उसमें निहित होना—नियत दिन को, दोनों विनिर्दिष्ट कंपनियों में से प्रत्येक के उपक्रम और ऐसे उपक्रमों के संबंध में दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों में से प्रत्येक का अधिकार, हक और हित, इस अधिनियम के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) प्रत्येक विनिर्दिष्ट कंपनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी जंगम और स्थावर सम्पत्ति, जिनके अन्तर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, रोकड़ बाकी, हाथ की रोकड़, चैक, मांगदेय ड्राफ्ट, आरक्षित निधियां, विनिधान, बही-ऋण और ऐसी संपत्ति में और उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विनिर्दिष्ट कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे, और, तत्संबंधी सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेजें भी हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हैं ।

(2) यथा पूर्वोक्त सभी सम्पत्तियां जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित होने के बल पर, किसी भी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और किसी न्यायालय की किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश की बाबत जो ऐसी संपत्तियों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बंधित करता है या जो ऐसी सभी संपत्तियों या उनके किसी भाग की बाबत कोई रिसीवर नियुक्त करता है, यह समझा जाएगा कि वह वापस ले लिया गया है ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का बंधकदार या ऐसी किसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति ऐसी संपत्ति की स्वामी विनिर्दिष्ट कंपनी को धारा 6 या धारा 7 के अधीन संदेय रकमों में से बंधक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णत: या भागत: संदाय के लिए अपने अधिकार और हितों के अनुसार दावा करने का हकदार होगा किन्तु ऐसा कोई बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(4) ऐसे किसी उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी को नियत दिन से पूर्व किसी समय अनुदत्त और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत ऐसे उपक्रम के संबंध में और उसके प्रयोजनों के लिए, ऐसी तारीख को और उसके पश्चात् अपने प्रकट शब्दानुसार, प्रवृत्त बनी रहेगी और ऐसे उपक्रम के धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित होने की तारीख से ही उस सरकार के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में उसी प्रकार प्रतिस्थापित हो गई है मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत उस सरकार को अनुदत्त की गई थी और वह सरकार उसे उस शेष अवधि के लिए धारण करेगी जिसके लिए विनिर्दिष्ट कंपनी उसके निबंधनों के अनुसार उसे धारण करती ।

5. दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों के स्वामियों का कुछ पूर्व दायित्वों के लिए जिम्मेदार होना—(1) नियत दिन से पूर्व की किसी अवधि की बाबत किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी का प्रत्येक दायित्व विनिर्दिष्ट कम्पनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि—

(क) नियत दिन से पूर्व की किसी अवधि की बाबत, दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों में से किसी का अपने उपक्रमों के संबंध में कोई भी दायित्व केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा;

(ख) दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों में से किसी के उपक्रमों के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश जो नियत दिन के पूर्व उत्पन्न हुए किसी ऐसे मामले, दावे या विवाद के बारे में, नियत दिन को या उसके पश्चात् पारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा;

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए, नियत दिन से पूर्व उपगत किसी विनिर्दिष्ट कंपनी का कोई दायित्व केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

अध्याय 3

रकम का संदाय

6. रकम का संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों में से प्रत्येक के उपक्रमों के संबंध में उनके अधिकार, हक और हित का धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अन्तरण करने और उन्हें उसमें निहित करने के लिए, नियत दिन से तीन मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व,—

(i) चापरमुख-सिलघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड को कुल मिलाकर दस लाख पचास हजार रुपए की रकम का नकद संदाय करेगी; और

(ii) काटाखाल-लालाबाजार रेलवे कम्पनी लिमिटेड को कुल मिलाकर नौ लाख रुपए की रकम का नकद संदाय करेगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा के खण्ड (i) में निर्दिष्ट रकम में से, केन्द्रीय सरकार, प्रथमत: किसी ऐसी रकम की कटौती करेगी जो चापरमुख-सिलघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड द्वारा उस सरकार को शोध्य है और उस कम्पनी का दायित्व ऐसी कटौती की सीमा तक उन्मोचित हो जाएगा और ऐसी कटौती को अन्य सभी प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों पर पूर्विकता प्राप्त होगी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट रकम में से, केन्द्रीय सरकार, प्रथमत: काटाखाल-लालाबाजार रेलवे कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी किए गए प्रतिभूत डिबेंचरों की बाबत उस कम्पनी द्वारा शोध्य रकम की कटौती करेगी और इस प्रकार कटौती की गई धनराशियों का ऐसे डिबेंचरों के उन्मोचन के लिए संदाय करेगी तथा उक्त डिबेंचरों के संबंध में उस कम्पनी का दायित्व ऐसी कटौती की सीमा तक उन्मोचित हो जाएगा और ऐसी कटौती को अन्य सभी प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों पर पूर्विकता प्राप्त होगी ।

7. ब्याज—धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) में निर्दिष्ट ऐसी रकम पर, जो उस धारा के अधीन कटौती करने के पश्चात् आए, यदि उस रकम का उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले संबद्ध कम्पनी को संदाय नहीं किया गया है तो चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज नियत दिन से प्रारम्भ होकर उस तारीख को, जिसको ऐसे कटौती की गई रकम का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा उस कम्पनी को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए दिया जाएगा :

परन्तु यदि ऐसी रकम, जो ऐसे कटौती के पश्चात् आए, विनिर्दिष्ट कम्पनी को निविदत्त की जाती है किन्तु उसके द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो ऐसे निविदान की तारीख से कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

अध्याय 4

दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां आदि परिदत्त करने का कर्तव्य

8. दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों के उपक्रमों के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां आदि परिदत्त करने का कर्तव्य—दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों के उपक्रमों के केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाने पर, ऐसे निहित होने के ठीक पूर्व उन उपक्रमों के प्रबन्ध के भारसाधक सभी व्यक्ति उपक्रमों से सम्बन्धित सभी आस्तियां, लेखा-बहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें, जो उनकी अभिरक्षा में हों, परिदत्त करने के लिए बाध्य होंगे ।

9. व्यक्तियों का अपने कब्जे की आस्तियों आदि का लेखाजोखा देने का कर्तव्य—(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में नियत दिन को किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी ऐसे उपक्रम से संबंधित कोई आस्तियां, बहियां, दस्तावेजें या अन्य कागजपत्र हैं, जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं और जो विनिर्दिष्ट कम्पनी के हैं या उस दशा में उसके होते, यदि विनिर्दिष्ट कम्पनी के स्वामित्वाधीन उपक्रम केन्द्रीय सरकार में निहित न हुए होते, केन्द्रीय सरकार को उक्त आस्तियों, बहियों दस्तोवेजों और अन्य कागजपत्रों का लेखा-जोखा देने के लिए दायी होगा और उन्हें केन्द्रीय सरकार को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों के उन उपक्रमों का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, कब्जा प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगी या उठवा सकेगी ।

(3) दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियां ऐसी अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे केन्द्रीय सरकार को उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, नियत दिन को यथाविद्यमान अपनी सभी सम्पत्तियों और आस्तियों की एक सम्पूर्ण तालिका देगी और केन्द्रीय सरकार दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों को इस प्रयोजन के लिए सभी उचित सुविधांए प्रदान करेगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

10. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना—इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अथवा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

11. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति,—

(क) दोनों विनिर्दिष्ट कंपनियों में से किसी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार से सदोष विधारित करेगा; या

(ख) दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों में से किसी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसको प्रतिधारित करेगा; या

(ग) ऐसे उपक्रम से संबंधित किसी दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, जानबूझकर केन्द्रीय सरकार से उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से विधारित करेगा या उनको उन्हें देने में अफसल रहेगा; या

(घ) दोनों विनिर्दिष्ट कम्पनियों में से किसी के उपक्रमों से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार को या उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को देने में असफल रहेगा; या

(ङ) दोनों विनिर्दिष्ट कंपनियों में से किसी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा या कोई ऐसा दावा करेगा जिसे वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

12. कम्पनियों द्वारा अपराध— (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा, तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

13. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उस सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उस सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

14. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग, जो इस धारा और धारा 15 और धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न हैं, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जब कभी शक्ति का कोई प्रत्यायोजन उपधारा (1) के अधीन किया जाता है तो वह व्यक्ति जिसको ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

15. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

———